भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 65A/2018-19

1.लेदू सरदार 2. मनसा सरदार **बनाम** तारा देवी

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
30-8-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 1478 दिनांक 30.07.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 65A/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. लेदू सरदार 2. मनसा सरदार दोनों के पिता गाडू सरदार, सा0–झुरकुली, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता तारा देवी, पति–शम्भू सरदार, ग्राम–झुरकुली, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
झुरकुली	118	41	89	6.891डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादाजी के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेतागण अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 6.891डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् प्रति आवेदक 3.02 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'भूमिज' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 6.891डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सरायकेला।